(78)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 537–तीन/2007 निगरानी – विरुद्ध आदेश दिनांक 12–3–2007– पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 866 बी–90/82–83 पुनरीक्षण

दान बहादुर सिंह तिवारी पुत्र स्व. शिवेन्द्र सिंह
ग्राम करोंदी तहसील गुढ, जिला रीवा ———आवेदक

विरुद्ध

1– म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा
2– लक्ष्मीदेवी पत्नि स्व0शिवकुमार सिंह तिवारी
मृत वारिस
मालती देवी पुत्री स्व.शिवकुमार सिंह तिवारी
पत्नि कृष्ण प्रकाश सिंह दुबे निवासी ग्राम
मनिकवार तहसील रायपुर कचुलियान जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 14 –09–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 866 बी–90/1982–83 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–3–2007 के विरुद्ध म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 42 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम अधिकारी) हुजूर के प्रकरण कमांक 294 अ–90 (बी–3)1974–75 में पारित आदेश दिनांक 10–8–1978 से (वर्तमान में मृत – धारक शिवकुमार आगे जिसे अनावेदक सम्बोधित किया गया है) के खाते

में से 44.40 एकड़ भूमि म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा *अधिनियम 1960की धारा 11-6 के अंतर्गत अतिशेष घोषित की गई।* इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्र0क0 9/ 90 बी /78-79 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-1983 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 866 बी-90/82-83 निगरानी में पारित आदेश दि. 12-3-2007 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने। अनावेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी (सक्षम अधिकारी) हुजूर ने अनावेदक के नाम म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अंतर्गत निर्धारित मात्रा से अधिक भूमि पाने के आधार पर प्रकरण कमांक 294 अ-90(बी-3)1974-75 दर्ज किया है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक ने कुछ भूमि सामिलाती परिवार की बताते हुये आपत्ति दर्ज कराई है अनुविभागीय अधिकारी ने आपत्तिकर्ता आवेदक को सुनवाई का एंव अनावेदक के नाम धारित भूमियॉ आवेदक की सामिलाती किस प्रकार है प्रमाणित करने का अवसर दिया है। समुचित सुनवाई का अवसर देने के उपरांत भी आवेदक प्रमाणित नहीं कर सका है कि अनावेदक के नाम अंकित भूमियॉ

उसकी सामिलाती हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10-8-1978 से अनावेदक के खाते में से 44.40 एकड़ भूमि म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960की धारा 11-6 के अंतगति अतिशेष घोषित की है। आवेदक अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष भी अपील प्रकरण में सुनवाई के दौरान समाधान नहीं करा पाया है कि अनावेदक व्दारा एकल नाम से धारित भूमि उसकी सामिलाती है जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 9/ 90 बी /78-79 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-4-1983 से अपील निरस्त की है। इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 866 बी-90/1982-83 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-3-2007 में अपर कलेक्टर एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 866 बी-90/1982-83 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-3-2007 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर